न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
017/2016 (GCMS 2016/00151)	21.12.2016	15.04.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. नूतन प्रकाश शारदा पुत्र कन्हैया लाल शारदा
(मौके पर विक्रेता एवं फर्म मालिक)
मैसर्स बालाजी स्टोर, विवेकानन्द वाटिका के पास,
आदर्श कॉलोनी, पोस्ट निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़,
निवासी विवेकानन्द वाटिका के पास, आदर्श कालोनी,
पोस्ट निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।
2. जयप्रकाश बसंल (निर्माता फर्म मालिक)
मैसर्स श्री सांवरिया ट्रेडर्स,
सीनियर सैकण्डरी स्कूल के सामने, बस स्टेण्ड रोड
पोस्ट फतहनगर जिला उदयपुर।

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार चेजारा ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार चेजारा दिनांक 06.05.2015 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहे थें औंर इन्हे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.11 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमाक एसपी 01 दिनांक 26.10.2014 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:20 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

और जिला चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते है एवं आदेश क्रमांक 491 दिनांक 29.06.2015 के द्वारा इनका स्थानान्तरण कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के अधीन किया है। अधिसूचना एवं आदेशों की फोटो प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.05.2015 को समय 11.00 ए.एम. पर मैसर्स बालाजी स्टोर, विवेकानन्द वाटिका के पास, आदर्श कालोनी, पोस्ट निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ पर पहुँचें। वहाँ पर नूतन प्रकाश शारदा पुत्र कन्हैयालाल शारदा उम्र 48 वर्ष जाति महाजन निवासी विवेकानन्द वाटिका के पास, आदर्श कालोनी, पोस्ट निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ उपस्थित थे, को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता ने फर्म मालिक स्वयं को होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा मौके पर विक्रेता ने फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र की छायाप्रति पेश को तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में परिसर का निरीक्षण किया परिसर में खाद्य पदार्थ मसाले, घी, तेल, बिस्किट, नमकीन, बेसन, आटा आदि विक्रय हेतु प्रदर्शित थी। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (एसपीएल) 500 ग्राम पोली पैक के 43 पैकिट्स दुकान में एक कट्टे में रखे हुए थे के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (एसपीएल) 500 ग्राम पोली पैक के क्रय बिल की छाया प्रति मांगी विक्रेता ने वेट इन्वाईस की प्रति बाद में पेश करने का निवेदन किया तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नंबर **5 A** की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (एसपीएल) 500 ग्राम पोली पैक के 4 पोली पैक वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर रशि 300/– रूपयें नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (एसपीएल) 500 ग्राम के 04 पोली पैक को 04 बराबर–बराबर भागों में बांट कर 04 प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर 04 नमूना भाग तैयार कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक एएम 520 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्तक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता नूतन प्रकाश शारदा पुत्र कन्हैयालाल ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक महेन्द्र सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा खाद्य विश्लेषक, उदयपुर को जमा करवाकर अलग-अलग रसीद प्राप्त की गई जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/1743 दिनांक 28.05. 2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस 195/ एक्ट/2015/230 दिनांक 15.05.2015 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिसब्राण्ड (धारा **3(1)(zf)(C)(i)**) पाया गया था। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अनुसंधान बाबत मैसर्स बालाजी स्टोर, विवेकानन्द वाटिका के पास, आदर्श कालोनी, पोस्ट निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ को पत्र लिखा गया पत्र की प्रति, जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। नूतन प्रकाश शारदा द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के क्रय बिल की प्रति पेश कर नमूने की पुनः जांच करवाने हेतु फार्म नं0 8 में अपील की जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ के द्वारा मैसर्स सांवरिया ट्रेडर्स, फतेहनगर जिला उदयपुर को पत्र लिखा गया एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अनुसंधान बाबत् मैसर्स सांवरिया ट्रेडर्स फतेहनगर जिला उदयपुर को लिखा गया पत्र की प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैसर्स श्री सांवरिया ट्रेडर्स, सीनियर सेकण्डरी स्कूल के सामने, फतहनगर (राज.) ने प्रत्युत्तर ने वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन पत्र एवं खाद्य अनुज्ञापत्र को छायाप्रति भिजवायी जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। अभिहित अधिकारी चित्तौडगढ को प्राप्त रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद के जांच सर्टिफिकेट नम्बर 8/ध्फरवरी/16-राज. दिनांक 05.02.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(एसपीएल) 500 ग्राम पोली पैक मिसब्राण्ड (धारा **3(1)(zf)**) एवं सब स्टैन्डर्ड (धारा **3(1)(zx)**) पाया गया हैं। जांच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के सनस्त दस्तावेज पत्रांक एफएसएसए/2015/1743 दिनांक 28.05.2015 एवं पत्रांक/2314 दिनांक 07.07.2015 की पालना में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये। प्रकरण में निर्धारित समयावधि एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर समयावधि बढाने बावत् अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) जयपुर को पत्र लिखा गया जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) जयपुर द्वारा प्रकरण में समयावधि 31 दिसम्बर 2016 तक विस्तारित करने आदेश जारी किये जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण मे कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएराए/2016/5635 दिनांक 17.11.2016 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। उक्त प्रकरण में अंकित अभियुक्त नंबर एक ने मिसब्राण्ड (धारा **3(1)(zf)**) एवं सब स्टैन्डर्ड (धारा **3(1)(zx)**) खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (एसपीएल) 500 ग्राम पोली पैक का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) **(ii)** का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 52 में जुर्माने योग्य अपराध है एवं अभियुक्त नंबर दो ने मिसब्राण्ड (धारा **3(1)(zf)**) एवं सब स्टैन्डर्ड (धारा **3(1)(zx)**) खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (एसपीएल) 500 ग्राम पोली पैक का निर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) **(ii)** का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 52 में जुर्माने से दण्डनीय अपराध किया है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्तगणों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के के समर्थन में शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 नरेश कुमार चेजारा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर, गवाह संख्या 2 भरत तेली पुत्र लक्ष्मीनारायण तेली निवासी इन्दिरा कॉलोनी पोस्ट निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 3 महेन्द्र सिंह पुत्र भगवंत सिंह सहायक कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गवाह संख्या 4 डॉ0 इन्द्रजीत सिंह अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ पेश किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

1. गजट नोटिफिकेशन एवं शुद्धिपत्र की छायाप्रति।
2. पदस्थापन कार्यक्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रति।
3. कार्यक्षेत्र सीमा का गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति।
4. फार्म नंबर 5 ए की मूल प्रति।
5. माल खरीद रसीद की मूल प्रति।
6. मौका फर्द की मूल प्रति।
7. विक्रेता द्वारा मोके पर प्रस्तुत खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति।
8. फार्म नं 6 की मूल प्रति।
9. नमूना जमा करवाने हेतु लिखे पत्र की प्रति।
10. खाद्य विश्लेषक उदयपुर में नमुना मय फार्म नं0 6 की प्रति जमा रसीद मूल।
11. खाद्य विश्लेषक उदयपुर में फार्म नं0 6 अलग से सील्ड लिफाफे में जमा रसीद फार्म नं 6 की पुष्ट पर।
12. अभिहित अधिकारी को नमुना के द्वितीय तृतीय व चौथा भाग मय फार्म नं. 6 जमा की रसीद मूल।
13. अभिहित अधिकारी का पत्र मय मूल पोस्टल रसीद एवं जांच रिपोर्ट की प्रति।
14. अनुसंधान बाबत् मैसर्स बालाजी स्टोर, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ को लिखे गए पत्र की प्रति।
15. मैसर्स बालाजी स्टोर, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पेश किये गये क्रय बिल की स्व प्रमाणित प्रति।
16. मैसर्स श्री सांवरिया ट्रेडर्स, फतहनगर उदयपुर को अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा भिजवाये गये पत्र की प्रति मय मूल पोस्टल रसीद।
17. विक्रेता नूतन प्रकाश शारदा द्वारा पेश किये गये अपील फार्म नंबर 8 की प्रति।
18. अनुसंधान बाबत् मैसर्स श्री सांवरिया ट्रेडर्स, फतहनगर उदयपुर को लिखे गये पत्र की प्रति।
19. मैसर्स श्री सांवरिया ट्रेडर्स, फतहनगर उदयपुर की वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन एवं खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति।
20. अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ के पत्रांक 2680 दिनांक 07.08.2015 की प्रति।
21. अभिहित अधिकारी का पत्र मय रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद के जांच सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति।
22. प्रकरण मे दस्तावेज जमा हेतु पत्र की प्रति।
23. अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ का पत्रांक/4600 दिनांक 06.09.2016 की प्रति।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24. आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) जयपुर के पत्रांक/1038 दिनांक 14.10.2016 की प्रति।
25. प्रकरण में न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने बाबत् स्वीकृति पत्र मूल।
26. मूलजिम प्रति।

उक्त समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 30.01.2017 को अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब परिवाद पेश किया जो कि शामिल पत्रावली है। अपने जवाब परिवाद में अप्रार्थी संख्या 2 ने परिवाद में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि आवेदन पत्र की कलम संख्या 9 से 12 रेकर्ड पर आधारित है जिसे आवेदन सिद्ध करावे। दिनांक 06.05.2015 को जो सेम्पल लिया गया उसकी फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड लेबोरेट्री उदयपुर द्वारा दिनांक 15.05.2015 को जांच रिपोर्ट संख्या **LS 195/ACT/2015/230** दी गई। जिसमें उक्त सेम्पल के लोट नंबर अबसेन्ट बताया गया जबकि विभाग के फार्म नं 5 ए दिनांक 06.05.2015 पर लोट नं 7 अंकित था। उक्त आधार पर ही उक्त जांच रिपोर्ट एवं विभागीय कार्यवाही विधि में प्रभावहीन होकर निरस्त योग्य है, और कोई भी अपराध इस एक्ट के तहत कारित नही होता है। उक्त मामले पश्चातवर्ती रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट दिनांक 05.02.2016 में उक्त सेम्पल में स्टार्च सेल्स बताया गया है। किन्तु उक्त स्टार्च किस वस्तु यथा गेहु, चना या अन्य के है, नहीं बताया है कि ये कितनी मात्रा में है। कितनी सेल्स है इसी आधार पर उक्त रिपोर्ट भी विधि में प्रभावहीन होने से निरस्त योग्य है। इस एक्ट की प्रक्रियात्मक पालना भी की गयी है, एवं आवेदन पत्र में वर्णित धाराओ में कोई अपराध दोनो जांच रिपोर्ट के आधार पर उत्पन ही नही होता है। मुझ अप्रार्थी द्वारा निर्धारित सभी मानको व नियमों का पूर्ण पालन करते हुए नियमानुसार गुणवता वाला प्रोडक्ट ही तैयार किया गया है, जिसमें कभी भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उक्त उत्पाद, उत्पाद दिनांक से 8 माह तक ही प्रयोग हेतु निर्मित है एवं आपने द्वितीय जांच 8 माह के पश्चात करवाई है जिससे भी कानून कोई अपराध नही बनता है। दोनो रिपोर्ट के आधार पर कोई भी अपराध हू अप्रार्थीगण द्वारा कारित नहीं होता है न ही एफएसएस एक्ट की धारा 26 2(ii) व अन्य वर्णित में उक्त आधार पर कोई अपराध बनता है। इसलिए इसी एक्त की धारा 51, 52 के तहत कोई जुर्माना देने के लिए फर्म दायी नही है, अतः आप श्रीमान से अनुरोध है कि व्यवसाय के लिए विकट समय में विधि एवं प्राकृति न्याय को देखने हुए उक्त आवेदन पत्र को खारीज करने की कृपा करे। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्रसिंह राणावत

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा विपक्षी संख्या 2 की और से प्रस्तुत जवाब परिवाद का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि फार्म नंबर 5 ए पर लोट संख्या 7 अंकित है किन्तु खाद्य प्रयोगशाला उदयपुर व रेफरल प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में लोट नम्बर एबसेंट/नोट लेजिबल का अंकन है, अतः नमूनीकरण की कार्यवाही उक्त खाद्य नमूने पर लोट नम्बर का स्पष्ट अंकन न होने के कारण व सब स्टैण्डर्ड होने के कारण प्रभावहीन/निरस्त योग्य नहीं है। रेफरल खाद्य प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट में फोरेन स्टॉर्च सेल्स पायी गई है जो कि एफएसएस एक्ट की धारा **3(1)zx)** के तहत सब स्टैण्डर्ड होने से अपराध कारित होता है। खाद्य नमूना के लोट नंबर नोट लेजिबल होने से मिसब्राण्ड है। अभियुक्तों ने मिसब्राण्ड व सब स्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय कर अपराध कारित किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की और से प्रस्तुत जवाब–उल–जवाब शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 15.02.2018 को अप्रार्थी का जवाब बंद किया गया।

दिनांक 15.04.2021 को अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 हाजिर नहीं आये। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं आये। इस पर पत्रावली का गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। हमने पत्रावली को बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना किये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 3 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 एवं 5 नमूना क्रय रसीद एवं फार्म नंबर 5 ए की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (एसपीएल) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 5 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रुप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 06.05.2015 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 6 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 06.05.2015 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (एसपीएल) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-520** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 67 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 8 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक महेन्द्रसिंह के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-520** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 10 एवं 11 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 10 का अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता है कि पत्रवाहक महेन्द्रसिंह द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 07.05.2015 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 12 का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गयें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 13 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2015/1743 दिनांक 28.05.2015 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 195/ACT/2015/230 Dated 15-05-2015** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने दस्तावेज क्रमांक 16 खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 195/ACT/2015/230 Dated 15-05-2015** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :-

Report LS 195/ACT/2015/230 Dated 15-05-2015

Certified that I PANKAJ KUMAR duly appointed under the provisions of Food Safety and Standard Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Naresh Kumar Chejara, Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Lal Mirch Powder (SPL) bearing code no. and serial no. AM- 520 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh of 07.05.2015 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 67 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.

I found the sample to be Salt, spices condiments and related products falling under Regulation No. 2.9.3.2 Lal Mirch Powder of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 14.05.2015 to 15.05.2015 and the result of its analysis is given below-

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ANALYSIS REPORT-
((1) Sample description:- The sealed sample contained in a long plastic container with original company aluminum poly pack 1x500gm.
(ii) Physical appearance:- Red powder, No visible insect infestation or mould growth.
(iii) Label :- Brand- SPL, Name of food- Lal Mirch Powder, Mfd. by- Shree Sanwaria Traders, Chittorgarh Road, Fatehnagar, Udaipur (Raj.), Lot no. - Absent, Net wt.- 500g., Pkd. on.-04. 2015, Best before- 8 Month present. Green symbol of veg.- Present.

Opinion:- The sample Lal Mirch Powder (SPL) bearing code no. and serial no. AM-520 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O. of District Chittorgarh Is misbranded food. The sample is misbranded food. As violation of regulation no. 2.2.2.(8) of the Food Safety and Standards (Packaging & Labelling), Regulation 2011. The sample is misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार चेजारा द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 67 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 14.05.2015 से 15.05.2015 तक को जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Salt, spices condiments and related products falling under Regulation No. 2.9.3.2 Lal Mirch Powder of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011., एवं Lal Mirch Powder (SPL) bearing code no. and serial no. AM-520 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O. of District Chittorgarh Is misbranded food. The sample is misbranded food. As violation of regulation no. 2.2.2.(8) of the Food Safety and Standards (Packaging & Labelling), Regulation 2011.** है, एवं उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-520** लाल मिर्च पाउडर (एसपीएल) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** के तहत मिस ब्राण्ड स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट विपक्षीगण को पत्रांक/एफएसएसए/2015/1847 दिनांक 01.06.2015 एवं पत्रांक/एफएसएसए/2015/2314 दिनांक 07.07.2015 से अप्रार्थीगण को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर विपक्षी द्वारा नमूना की जॉच रेफरल प्रयोगशाला से कार्यवाही जाने हेतु अपील प्रस्तुत की गई जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 17 होती है। इस पर नमूना को रेफरल प्रयोगशाला, गाजियाबाद प्रेषित किया गया। निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संख्या **86/Feb/16-RAJ** जारी किया गया जो कि दस्तावेज क्रमांक 21 है। हमने दस्तावेज क्रमांक 21 निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद की प्रमाण पत्र **86/Feb/16-RAJ** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

CERTIFICATE OF ANALYSIS BY THE REFERRAL FOOD LABORATORY, GHAZIABAD (LP)

Certificate No. 86/Feb/16-RAJ

Certified that the sample bearing number Code No. AM-520 purporting to be a sample of Lal Mirch Powder (SPL) was received on 15.01.2016 with Memorandum No. FSSA/15/03 dated 22.10.15 and letter No. Sama/FSSA/2016/22 dated 14.01.16 from Designated Officer (Food Safety)-cum-Chief Medical & Health Officer, District Chittorgarh (Rajasthan) for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:

The seals on the sample container were intact. Seals of Food Safety Administration Office on cover of sample container, as well as, on outer cover of sample parcel were also intact & tallied with the specimen impression of seal given on copy of memorandum forwarded separately.

I Dr. G.P. Sharma found the sample to be Lal Mirch Powder (SPL) falling under Regulation No. 2.9.3:2 of Food Safety and Standards (Food Products and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 20.01.2016 to 01.02.2016 and the result of its analysis is given below/~~was not in a condition fit for analysis for the reason given below~~:-

Reasons:-

Not applicable

CERTIFICATE OF ANALYSIS BY TILE REFERRAL FOOD LABORATORY, CITAZIABAD (UP)

Certificate No. 86/Feb/16-RAJ

Analysis Report

(i) Sample Description-Sample of Lal Mireh Powder (SIL) was received in a polypack (manufacturer's pack) kept in a plastie jar, further kept in a wooden box and sealed by the food safety adiinistration office.

(ii) Physical appearance-Sample of Red Chilli Powder, was free from insects, rodent contamination and any other visible extraneous matter.

(iii) Label-Product's name: SPL Masale. Lal Mirch powder. Manufactured By: Shree Sanwaria Traders Chittorgarh Road. Fatehnagar, Udaipur (Raj.). "PkdD: Not legible. "Lot No: Not legible. Net Weight: 500g. Best Before Date: Best Before 8 Months from the Date of Packaging. Symbol for Vegetarian Food: Displayed. Nutritional Information: Given. CHILIES IN THIS PACKAGE CONTAINS AN ADMIXTURE OF NOT MORE THAN 2% OF SOYABEAN REFINED OIL.

S. No.	Quality characteristics	Name of method of test used	Result	Prescribed standards as per Regulation No. 2.9.3:2 of Food Safety and Standards (Food Products and Food Additive) Regulations, 2011.
1	Moisture (by weight)	IS: 1797-1985, RA 2009, 2013: Clause 9	4.9%	11.0% Max.
2	Total ash on dry basis (by weight)	IS: 1797-1985, RA 2009; Clause 6	6.43%	8.0% Max.
3	Ash insoluble in dil. HCl on dry basis	IS: 1797-1985, RA 2009; Clause 8.	0.25%	1.3% Max.
4	Test for starch	IS:1479 P-1, 1960	Positive	Absent
5	Crude fibre by weight	IS:1797-1985, RA 2009; Clause 13	17.19%	30.0% Max.
6	Non-volatile ether extract on dry basis	IS:1797-1985, RA 2009; Clause 14	17.50%	12.0% Min.
7	Test for oil soluble synthetic colour	IS:548 (P-2)-1976, Clause 19	Negative	Absent
8	Test for water soluble synthetic colour	DGHS Manual Methods of Analysis of Food	Negative	Absent

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9	Test for turmeric	-do-	Negative	Absent
10	Test for mineral oil	-do-	Negative	Absent
11	Microscopic examination	DGHS Manual Methods of Analysis of Food/Pearson's Composition and Analysis of Food 9th Edition 1991	Foreign starch cells present, alongwith chillies cells	Foreign starch cells should be absent

Opinion: Sample of Lal Mirch Powder (SPL) does not conform to standards laid down under Regulation No. 2.9.3:2 of Food Safety & Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations 2011, as the sample shows presence of foreign starch. Further, the label of the sample contravenes Regulation No.*2.2.1:5 of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011. The sample is thus sub-standard under section 3(1)(zx) and misbranded under section 3(1) (zf) of FSS Act, 2006.

Place : Ghaziabad

Date: 05.02.2016

निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार चेजारा द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला को प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 20.01.2016 से 01.02.2016 तक को जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Lal Mirch Powder (SPL) falling under Regulation No. 2.9.3:2 of Food Safety and Standards (Food Products and Food Additive) Regulations, 2011., एवं Lal Mirch Powder (SPL) does not conform to standards laid down under Regulation No. 2.9.3:2 of Food Safety & Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations 2011, as the sample shows presence of foreign starch.** है, एवं उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-520** लाल मिर्च पाउडर (एसपीएल) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zf))** के तहत मिस ब्राण्ड एवं धारा **3(1)(zx))** के तहत सब्स्टैण्डर्ड स्तर का पाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2016/4600 दिनांक 06.09.2016 से आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान को प्रकरण में समयावधि बढाने की स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। इस पर आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 के प्रावधानों के तहत प्रकरण प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा को 31.12.2016 तक विस्तारित किया गया। उक्त दस्तावेज क्रमांक 23 एवं 24 होकर रिकार्ड है। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2016/5635 दिनांक 17.11.2016 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 25 अभियोजन स्वीकृति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होकर रिकार्ड पर है। जहॉ तक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब परिवाद में उठाये गये तथ्यों का प्रश्न है तो यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ सब–स्टैण्डर्ड है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये हैं :–

25. All imports of articles of food to be subject to this Act.

(1) No person shall import into India –

(i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;

(ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and

(iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

26. Responsibilities of the Food business operator.

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.

(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

(i) which is unsafe; or

(ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or

(iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or

(v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.

(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.

(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers

(1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.

(2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is–

(a) Supplied after the date of its expiry; or

(b) Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or

(c) Unsafe or misbranded; or

(d) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or

(e) Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or

(f) received by him with knowledge of being unsafe.

(2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –

(a) sold after the date of its expiry; or

(b) handled or kept in unhygienic conditions; or

(c) misbranded; or

(d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or

(e) received by him with knowledge of being unsafe.

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षीगण जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 श्री नूतन प्रकाश शारदा पुत्र कन्हैया लाल शारदा (मौके पर विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स बालाजी स्टोर, विवेकानन्द वाटिका के पास, आदर्श कॉलोनी, पोस्ट निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़, निवासी विवेकानन्द वाटिका के पास, आदर्श कालोनी, पोस्ट निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ एवं अप्रार्थी संख्या 2 श्री जयप्रकाश बसंल (निर्माता फर्म मालिक) मैसर्स श्री सांवरिया ट्रेडर्स, सीनियर सैकण्डरी स्कूल के सामने, बस स्टेण्ड रोड पोस्ट फतहनगर जिला उदयपुर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 एवं 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्राविधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 एवं 52 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.
While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.
Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

52. Penalty for misbranded food.

(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.

(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

विपक्षी की दोष सिद्धि घोषित की गई है, जिससे अर्थदण्ड विपक्षी को किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त संख्या 1 श्री श्री नूतन प्रकाश शारदा पुत्र कन्हैया लाल शारदा (मौके पर विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स बालाजी स्टोर, विवेकानन्द वाटिका के पास, आदर्श कॉलोनी, पोस्ट निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़, निवासी विवेकानन्द वाटिका के पास, आदर्श कालोनी, पोस्ट निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ को रूपये 15,000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र, अप्रार्थी संख्या 2 श्री जयप्रकाश बसंल (निर्माता फर्म मालिक) मैसर्स श्री सांवरिया ट्रेडर्स, सीनियर सैकण्डरी स्कूल के सामने, बस स्टेण्ड रोड पोस्ट फतहनगर जिला उदयपुर को रूपये 35,000/- अक्षरे पैंतीस हजार रूपये मात्र, अर्थात् अप्रार्थीगण को कुल रूपये 50,000/- अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>15.04.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:20 IST
Reason: SelfAttested